मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-4

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 16, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 33 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 38 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रामगुलाब उईके, सदस्य ने जिला सिवनी ग्राम पंचायत मरबोडी के माध्यमिक शाला भवन निर्माण में कार्यरत् मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने.

(2) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने भिण्ड जिले में भीषण आंधी से बिजली के खंबे तार एवं ट्रांसफार्मर टूटने से कृषकों को विद्युत सप्लाई न होने से सिंचाई कृषि कार्य प्रभावित होने,

(3) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले की तहसील कराल मुख्यालय स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सको के पद रिक्त होने,

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने जिला रीवा के हनुमना राष्ट्रीय राजमार्ग नं.7 पर अन्तर्राज्जीय सीमा पर चौकी स्थापित न होने से अपराधों में वृद्धि होने,

(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के तहसील व नगर विजयपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य सहकारी समितियों से न किये जाने,

(6) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, सदस्य ने सीधी जिले में प्राकृतिक आपदाओं एवं दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा का भुगतान न किये जाने,

(7) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने चौरई विकासखंड क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों का अभाव होने,

(8) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने सीधी जिले के देवसर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत खडोरा से घिघेरा मार्ग पर किसानों की जमीन पर जबरदस्ती निर्माण होने, तथा

(9) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने जिला टीकमगढ़ के खिस्टोन बरूआ नाले पर बांध निर्माण कार्य प्रारंभ न होना,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, अर्जुन पलिया, नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने सीधी जिले के सिंगरौली क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा हत्या एवं लूट किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(2) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में नागदा बांध से पानी न छोड़ने से फसलें सूखने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने -

(1) भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 18 सन् 2004),

(2) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 19 सन् 2004),

(3) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004),

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 21 सन् 2004),

(5) श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 22 सन् 2004),

सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किये।

6. वर्ष 2004-2005 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

" दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 67, 68, 72, 75, 76, 82 तथा 88 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सैंतीस सौ उनचास करोड़, आठ लाख, बानवे हजार रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे
(2) डॉ. नरोत्तम मिश्री
(3) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(4) श्री रामनिवास रावत
(5) श्री नानालाल पाटीदार
(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

(1.01 बजे से 2.32 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए

(7) श्री शंकरलाल तिवारी
(8) डॉ. गोविन्द सिंह
(9) श्री दुलीचंद उरैती
(10) डॉ. सुनीलम्
(11) श्री प्रदीप जायसवाल

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए

(12) श्रीमती रंजना बघेल
(13) श्री राजेश पटेल
(14) श्री दरबू सिंह उइके

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए

(15) श्री लाल सिंह आर्य
(16) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए

(17) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(18) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2004 (क्रमांक 17 सन् 2004) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2004 (क्रमांक 17 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

8. सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिए कल दिनांक 8 दिसम्बर, 2004 को अपराह्न 1.00 बजे विधान सभा भवन स्थित "ऑडिटोरियम" में आयुष्मान भवः न्यास एवं शोध संस्थान,उज्जैन की ओर से स्वस्थ जीवन के प्राकृतिक नुस्खों संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

5.07 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 17, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.